

## भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून / Integrated Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001 दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/53/2023/एफ.सी./228

दिनांक 24/05/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद- अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम-तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/151058/2022)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2380/FP/UK/ROAD/151058/2022 दिनांक 15.04.2023 (received online on 16.05.2023) महोदय.

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है । राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

- 1) The KML analysed and found that the village Tuleri has already been connected from the existing road, while the other village Naini can be connected along the existing bridal path from the other side in a way so that number of trees to be felled can be reduced to its minimum. The State Government is requested to explore the possibility of alternate along with the existing bridal path in order to connect the village Naini and submit the detailed report.
- 2) The tree enumeration detail is not clear because the number (trees count) mentioned in the documents uploaded as an additional document in online portal is differ from the number provided in online Part II at Para 4. State Government is requested to clarify this discrepancy and provide/ upload the correct information in this regard.



3) The State Government is requested to provide tree enumeration details for 7m width also.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डा० योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(डा० योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)